प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शामली।

स्वीपर (अंशकालिक/संविदा आधार) भर्ती विज्ञप्ति सं0 01 /06.09.2023

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक **4694/Main-A/Admin. 'D' Section/ Allahabad ; Dated 05-04-2023** द्वारा शासनादेश सं0 **1963/VII-Nyaya-2-2000-41G/97 dated 19-10-2000** सपठित शासनादेश सं0 **15/2016/1111/ VII-Nyaya-2-2000-41G/97 dated 10-08-2016** के अन्तर्गत इस न्यायिक अधिष्ठान में स्वीपर अंशकालिक/संविदा आधार रू0 6000/– प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये है।

अतः जो व्यक्ति कक्षा 5 उत्तीर्ण है, और स्वीपर के पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक है, वें अपना आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2023 से दिनांक 30.09.2023 की सांय 04:00 बजे तक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, शामली में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर दें/ प्रेषित कर दें।

समस्त आवेदक दिनांक 30.09.2023 की सांय 04:00 बजे अपने सभी मूल प्रपत्रों के साथ जनपद न्यायालय, शामली के मीटिंग हॉल में लिखित अथवा मौखिक परीक्षा हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

आवेदन की शर्तें निम्नवत है :–

01– आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये तथा आवेदक कक्षा 5 उत्तीर्ण हो।

02– नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र विचारणीय नही होंगे।

03– लिखित अथवा मौखिक परीक्षा हेतु उपस्थित होने पर कोई भी यात्रा भत्ता देय नही होगा।

04– आवेदक यदि किसी विभाग/कार्यालय स्वीपर के रूप में कार्य कर चुका हो तो इसके समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे वरीयता प्रदान की जायेगी।

05– आवेदक, आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक, आवासीय, अनुभव एवं जाति प्रमाण पत्र जो स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो, अवश्य संलग्न करें।

06– आवेदक इस आशय का शपथपत्र अवश्य प्रस्तुत करें कि उनके विरूद्ध कोई भी दाण्डिक वाद किसी भी न्यायालय में लंबित नही है और न ही उन्हे किसी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित किया गया है।

07– स्वीपर की पूर्णकालिक नियुक्ति किसी भी दशा में नही की जायेगी, अपितु संविदा के आधार पर कार्य लिया जायेगा।

Mumtaz

दिनांक 06.09.2023

(मुमताज अली)
अध्यक्ष, चयन समिति/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
शामली स्थित कैराना

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– जिला सूचना अधिकारी, शामली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे दैनिक समाचारपत्र में निशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

02– नोडल ऑफिसर, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय, शामली को इस आशय से प्रेषित कि इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, शामली की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

03– सूचनापटट कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

04– सूचनापटट कार्यालय पुलिस अधीक्षक, शामली।

05– सूचनापटट कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, शामली।

06– सूचनापटट कार्यालय विकास भवन, शामली।

07– सूचनापटट कार्यालय नगरपालिका परिषद, शामली एवं कैराना।

08– सूचनापटट कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, शामली।